

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: प. 1(18)चिशि/ग्रुप-1/2017

जयपुर, दिनांक 18.08.2017

आ दे श

प्रधानाचार्य, मेडिकल कॉलेज, जोधपुर के प्रस्तावानुसार चयन समिति की सिफारिश पर निम्नलिखित चिकित्सक शिक्षको को आदेश जारी होने की तिथि से 3 माह अथवा नियमित रूप से पद भरे जाने या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो, तक के लिये पूर्णतया आवश्यक/अस्थाई आधार पर नियत मानदेय पर मेडिकल कॉलेज, जोधपुर में नियुक्त किया जाता है:-

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पद	विशिष्टता	वर्ग	जन्मतिथि
1.	डा.एकादशी रजनी	सहायक आचार्य	माईकोबायलोजी	सामान्य	08.06.1976
2.	डा.केशर सिंह	वरिष्ठ प्रदर्शक	फोरेन्सिक मेडिसिन	ओबीसी	09.02.1990

उपरोक्त नियुक्त चिकित्सक शिक्षको के चरित्र सत्यापन एवं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने के अध्याधीन होगी, इन्हे आदेश जारी होने की तिथि से 10 दिवस में अपने पदस्थापन स्थान पर उपस्थिति प्रस्तुत करनी होगी।

यह नियुक्ति राजस्थान मेडिकल सर्विस(कॉलेजियट ब्रांच) नियम, 1962 के प्रावधानों एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशो/निर्देशों के अध्याधीन होगी।

आज्ञा से,


(भगवत सिंह)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, मा.मंत्री, चिकित्सा शिक्षा, जयपुर
2. निजी सचिव, शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा, जयपुर
3. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, जोधपुर
4. सम्बन्धित चिकित्सक शिक्षक मार्फत प्रधानाचार्य, मेडिकल कॉलेज, जोधपुर
5. रक्षित पत्रावली।



शासन उप सचिव